

:: आदेश ::

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निकों के समूह में तैनात निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अन्युक्ति
1.	सर्वश्री :- विनोद कुमार मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ।	राजकीय पालीटेक्निक, सरायजीत सीतापुर।	जनहित में।
2.	श्रीमती सौनिगा बर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महिला पालीटेक्निक, फ़ैजाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ।	स्वयं के अनुरोध पर।
3.	सर्करवर मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष	संजय गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर अमेठी।	राजकीय पालीटेक्निक, जगुनिया, डीह, हरख (बाराबंकी)	स्वयं के अनुरोध पर।
4.	श्रीमती कंचन, पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महिला पालीटेक्निक, मेजा इलाहाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, औराई मदोही।	स्वयं के अनुरोध पर।

उपरोक्त कार्मिकों में से जिस कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, उन्हें किसी प्रकार का कोई बाधा मस्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यभार संभाल करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दे परन्तु भारत सरकार द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी जिला-योजना से संबंधित जनपदों (वित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, आबस्ती एवं बहराइच) से स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रतिस्थानी के बिना कार्यभार न दिया जाये तथा संदर्भित जनपदों को स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यभार कर दिया जाए।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये गिलमन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29.03.2018 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

(आरोपीय राजपूत)
निदेशक।

संख्या 8654-66 / 1-स्था0स्थाना0अराज0(समूह-ग/घ)/2018-19, कानपुर दिनांक 29 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, विद्या भवन लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, विद्या भवन लखनऊ।

